भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 257

(दिनांक 27.11.2024 को उत्तर के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए संपर्क अधिकारी

257. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग और अधीनस्थ संगठनों में संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि आरक्षित रिक्तियों को भरने के संबंध में आदेशों और अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें अनुसचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अनुसचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कम से कम उप सचिव रैंक के एक अधिकारी की संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्ति करना अपेक्षित है। आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सभी कार्यालयों और संगठनों को मंत्रालय/विभाग में यथा-अपेक्षित समान तरीके से संपर्क अधिकारी को नामोद्दिष्ट करना अपेक्षित होता है। तथापि, नियुक्तियों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के संपर्क अधिकारी की होती है।

प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों ने अनुसचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं।

******